4

पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना

पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना 2001

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (1987 का सं. 39) की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (क) तथा (ग) के साथ पठित धारा 2 के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं धारा 8 में वर्णित के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए एतद् द्वारा निम्न योजना विरचित करता है अर्थात् :–

1. पृष्ठभूमि :

मानव व्यवहार जितना बाह्य जगत ग्रहों की गति गर्मी ठंड से प्रभावित नहीं होता उतना हमारे जीवन के संवर्गों के उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है। ये अंतर्गमन की क्रियाएं ही एक समुचित समाज की संरचना करती हैं। एक व्यक्ति के जीवन की आधारशिला परिवार ही है। यदि परिवार रूपी आधारशिला की एक ईंट भी अपनी जगह से खिसक गई तो पूरी इमारत ही धराशायी हो जायेगी। आज के वैज्ञानिक युग के तनाव, चिन्ता व प्रतियोगी जीवन व स्पर्धा की भाग दौड़ में हमारी आधार शिला "परिवार" ही कमजोर हो गया है। आज के आधुनिक युग में लगभग साठ प्रतिशत परिवारों में मानसिक तनाव के कारण पारिवारिक विवाद विद्यमान है।

पारिवारिक विवादों में व्यवहार का महत्वपूर्ण स्थान है। द्वेष, क्लेश, क्रोध, लोभ, स्वार्थ आदि मनोभावों के कारण ही व्यवहार प्रभावित होता है। हर व्यक्ति का व्यवहार मानसिक व शारीरिक अवस्था पर निर्भर करता है। बुद्धिमतापूर्ण व्यवहार, संपूर्ण मस्तिष्क क्रियाओं पर आधारित होता है। इसी तरह शारीरिक अवस्था भी व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। शारीरिक या मानसिक अक्षमता भी दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करती है।

मानसिक क्षमता या सोच में दम्पत्ति में भिन्नता होगी तो धीरे–धीरे मानसिक कुण्ठा बढ़ती जाती है। अपने संवर्गों, भावनाओं में भी तारतम्यता नहीं होगी तो भी पारिवारिक विवाद बढ़ता है। भय, क्रोध, प्रेम आदि संवेग जन्मजात नहीं होते बल्कि अर्जित होते हैं। बालक अपने संवेगात्मक व्यवहार का आधार माता–पिता को मानता है और विवाहोपरान्त अपनी

दाम्पत्ति को मानता है यदि जरा भी संवेगात्मक संतुष्टि में कमी आती है तो पारिवारिक विवाद का रूप सामने आने लगता है।

पारिवारिक विवाद में अवचेतन मन का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना चेतन मन का। कई विवादों में पाया गया है कि अपने में व्यक्तिगत कमी होने से अचेतन मन में कुण्ठा बननी शुरू हो जाती है। अपने अवचेतन मन के कारण कई तरह की मनोरचनाएं शुरू हो जाती हैं। अपनी सामाजिक एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति अपनी आत्म रक्षा हेतु तरह–तरह के कवच बनाना शुरू कर देता है। इस मानसिक कुण्ठा के कारण उदासीनता, गुस्सा आदि प्रतिरक्षा हेतु उत्पन्न हो जाते हैं। ये घटनायें पारिवारिक मारपीट व झगड़ों में भी परिवर्तित हो जाती है।

आज हर नवयुवक नवयुवतियों की सोच नियोजित है। पहले जल्दी शादी हो जाती थी अब देर से होती है। उनका समायोजन एक तरह के माहौल में हो चुका होता है। अचानक परिवर्तन को मानसिक सोच स्वीकार नहीं करती। शिक्षित वर्ग अपने अधिकार जानता है। अशिक्षित वर्ग को कानूनी सलाहकार जानकारी देते हैं। अतः वे अपने वैवाहिक विवाद का निर्णय अदालत से ही चाहते हैं। उसी निर्णय को अपनी हार या जीत का मुद्दा बना लेते हैं।

परिवार में समायोजन हेतु हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अग्रसित होना होगा। पारिवारिक विवाद में शक, वहम, अविश्वास व अहंकार आदि भावनाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। यह विजय मनोदशा पर विजय पाने से ही होगी, जो वैदिक काल से ही योग द्वारा मनःस्थिति के संतुलन हेतु बताया गया है, उसे अपनाना होगा। द्वेष, क्रोध, क्लेष, लोभ, स्वार्थ आदि भावों को मन से हटा कर, मन प्रदूषण में कमी करनी होगी। "स्वस्थ मनःस्थिति" एक स्वस्थ वातावरण बनाकर, स्वस्थ परिवार बना सकती है।

कानूनी व्यवस्था तो हर पीड़ित आदमी को संरक्षण देने को तैयार है परन्तु पारिवारिक मामले में "मनोकानून" को मानकर आगे बढ़े तो यह रास्ता पारिवारिक विवाद को समाप्त करने का आसान रास्ता होगा।

2. उद्देश्य :

भारत में प्राचीन काल से ही पंचों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ही विवादों को सुलह समझौते के आधार पर समाप्त करा देने की परम्परा चली आ रही है। वास्तव में पारिवारिक विवाद की जड़ किसी न किसी व्यक्ति की विचारधारा, उसके आचरण एवं समाज में उसकी भिन्न–भिन्न भूमिकाओं में कहीं न कहीं छिपी होती है। वर्तमान परिवेश में परिवार के बड़े बुजुर्ग/मुखिया या अन्य शुभ चिन्तकों को पारिवारिक विवादों को निपटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण पारिवारिक विवादों में उलझे हुए नवदम्पत्ति न्यायालय के गलियारे तक पहुँच जाते हैं। आज दिनों दिन पारिवारिक विवादों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। न्यायिक अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया है कि समझौता अथवा संधिवार्ता किसी भी विवाद को समाप्त कराये जाने का आदर्श माध्यम है। परिवार परामर्श का मुख्य उद्देश्य यह है कि परिवार को कायम, संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाये।

वर्तमान में यह सिद्धान्त सर्वमान्य हो चुका है कि किसी भी विवाद के न्यायिक निस्तारण से पक्षकारों की आकांक्षाओं के अनुरूप उपचार प्राप्त नहीं हो सकता। परिवार परामर्श के दायरे में वह उपचार शामिल नहीं है जो कि सामान्य तौर पर मुकदमेबाजी के द्वारा प्राप्त होता है। परस्पर बातचीत के आधार पर जो सुलह समझौता हो जाता है, उससे स्थाई तौर पर उभय पक्षकारों को संतुष्टि तथा उपचार प्राप्त होता है। ऐसे उपचार को उभय पक्षकार स्वेच्छा से एवं सहर्ष स्वीकार करते है। यदि यही उपचार मुकदमेबाजी के पश्चात् न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाये तो संभवतः एक पक्षकार को यह स्थिति स्वीकार होगी तो दूसरा पक्षकार उससे संतुष्ट नहीं होगा और उच्चतर अदालत की तरफ अपना रूख मोड़ देगा। परिणामतः मुकदमेबाजी का अन्त नहीं होगा जबकि सुलह समझौते के आधार पर जब वाद का निराकरण हो जाता है तो उससे प्राप्त उपचार उभय पक्षकारों को स्वीकार्य और उन पर बाध्य हो जाता है और वहीं मुकदमेबाजी सदैव के लिए समाप्त हो जाती है।

3. संक्षिप्त नाम :

इस योजना का नाम पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना 2001 है।

परिभाषा

परिवारवाद : परिवारवाद की परिभाषा के अंतर्गत परिवार के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद यथा पारिवारिक सम्पत्ति, शादी विवाह, भरण–पोषण, बच्चों की अभिरक्षा आदि शामिल है।

4. पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र की स्थापना :

प्रत्येक जिला स्तर पर एक जिला पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र तथा प्रत्येक तहसील स्तर पर जहां व्यवहार न्यायालय स्थित है तहसील पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

5. (अ) निम्नलिखित व्यक्तियों को पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, 2001 के अंतर्गत सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है :

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति,
2. अध्यक्ष / सचिव अधिवक्ता संघ,
3. अतिरिक्त कलेक्टर,
4. एक प्रतिष्ठित पुरूष समाजसेवी,
5. एक प्रतिष्ठित महिला समाजसेवी,
6. चिकित्सक / मनोचिकित्सक,
7. जिला विधिक सहायता अधिकारी — पदेन सचिव

सदस्यगण को वास्तविक रूप से उपगत किये गये आकस्मिक व्यय के अतिरिक्त 100=00 रूपये (एक सौ रूपये) प्रति बैठक की दर से भुगतान किया जायेगा।

सुलहकर्तादल :–

5. (ब) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त नामांकित सदस्यों में से आपसी समझौता कराने हेतु 3 व अधिक से अधिक 5 सदस्यों को नामांकित किया जावेगा जो बैठक में आपसी समझौता कराने का प्रयास करेंगे।

(स) उक्त नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा या अध्यक्ष को उनका कार्यकाल एक या एक से अधिक अवधि को और बढ़ाने का अधिकार होगा।

(द) उक्त नामंकित सदस्यों का कार्यकाल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रसाद पर्यन्त होगा।

6. विधिक सेवा एवं विवादों की सुनवाई :

पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र पक्षकारों से किसी प्रकार के विवाद को निपटाने हेतु केन्द्र के सचिव/विधिक सहायता अधिकारी के माध्यम से सीधे आवेदन पत्र प्राप्त करेगा या जिले के थानों विशेषकर महिला थानों से आवेदन पत्र प्राप्त करने का प्रयास करेगा। आवेदन पत्र पंजीबद्ध किया जायेगा। तदुपरांत उभय पक्षकारों को बुलाया जाकर सौहाद्रपूर्ण वातावरण में आपसी समझौता कराने का प्रयास किया जाएगा। समझौता होने पर केन्द्र द्वारा मामला सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति के माध्यम से लोक अदालत में उचित आदेश हेतु प्रेषित किया जाएगा। यदि समझौता संभव नहीं हुआ तो पक्षकारों को कानूनी सहायता दिलाये जाने हेतु प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर प्रेषित किया जाएगा।

इसके साथ ही विधिक सेवा व मामलों के आपसी निपटारे हेतु उक्त केन्द्रों में न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने के पूर्व व न्यायालयों में लंबित मामलों में विधिक सहायता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। यह आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर उक्त केन्द्र द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर समझबूझ के आधार पर मामले का निपटारा किया जाएगा व निपटारा न होने पर आवेदन सचिव जिला प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाएगा।

7. गोपनीयता :

सुलहकर्ता दल के समस्त सदस्य पारिवारिक विवादों में समझौते की कार्यवाही को गोपनीय रखने का घोषणा पत्र देंगे। आपसी समझौते कराने की कार्यवाही को पूर्णतः गोपनीय रखेंगे व इसका किसी प्रकार प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से नहीं किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाचार पत्रों में केवल यह समाचार प्रकाशित किया जाएगा कि पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र के द्वारा आपसी समझौता के माध्यम से कितने प्रकरणों का निराकरण किया गया किन्तु की गई कार्यवाही में हुई वार्ता के विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किये जाएगें।

8. पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र के बैठक का स्थान :

पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र के लिए व्यवहार न्यायालय परिसर में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की गोपनीयता

को ध्यान में रखते हुए यथासंभव बड़े आकार का स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

9. बैठक का दिन व समय :

केन्द्र की बैठक माह में कम से कम एक बार न्यायालय के अवकाश के दिन होगी। केन्द्र की बैठक का समय 10:30 बजे सुबह से 1:30 बजे एवं 2:00 बजे से 5:00 बजे सायं तक।

10. प्रचार–प्रसार :

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा केन्द्र के कार्य में व्यापक प्रचार प्रसार समस्त संचार माध्यम से किया जाएगा।

11. आवेदन – पत्र :

केन्द्र में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं विवादों को निपटारे के लिए सर्वप्रथम केन्द्र के सचिव द्वारा केन्द्र में सभी जानकारियां निर्धारित प्रारूप में भरकर बैठक के पूर्व तैयार कर ली जायेगी।

यदि पारिवारिक विवाद न्यायालय में लंबित है और पक्षकार समझौता चाहते हैं तो आवश्यक होने पर केन्द्र के सचिव को संबंधित पक्षकार आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करायेंगे।

12. समझौते की प्रक्रिया :

1. सन्धिवार्ता से पूर्व :–

(क) सन्धिवार्ता किये जाने से पूर्व पक्षकारों को इस बिन्दु पर सहमत करा लिया जाना आवश्यक है तो उनके विवाद को सुलझाने के लिए संधिवार्ता एवं सुलह समझौता ही सर्वोत्तम मानक विधि है। यह कार्य या तो पक्षकारों से सीधे बातचीत करके अथवा पक्षकारों के विधिक सलाहकारों के सहयोग से उन्हीं के माध्यम से पक्षकारों को समझाकर सम्पन्न किया जा सकता है।

(ख) सन्धिवार्ता के लिए ऐसे संधिकर्ता का चुनाव आवश्यक है जिन्हें परिवार परामर्श का आधारभूत सिद्धांतों एवं तत्संबंधित विधियों की सम्यक जानकारी हो।

(ग) प्रारंभिक बैठक में पक्षकारों को समझा–बुझाकर विश्वास में लेने की पूर्ण योग्यता संधिकर्ता के पास होनी चाहिए।

(घ) पक्षकारों को अथवा उनके विधिक सलाहकारों को प्रारंभिक बैठक में उपस्थित होकर संधिवार्ता की संपूर्ण प्रक्रिया से अवगत होना अति आवश्यक है।

2. प्रारंभिक बैठक :

संधिवार्ता प्रक्रिया के प्रारंभिक स्तर पर बैठक इस दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि प्रायः प्रथम बैठक में ही संधिकर्ता को यह जानकारी हो जाती है कि संबंधित विवाद की जटिलता कितनी है और किसी सीमा तक इस विवाद में संधिवार्ता सफल हो सकती है। अतः इस बैठक को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जानी चाहिए।

1. संधिकर्ता द्वारा पक्षकारों के समक्ष संधिवार्ता की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला जाये। पक्षकारों को इस बिन्दु पर सहमत होना आवश्यक है कि समझौता ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा उनके विवादों का संतोषजनक समाधान संभव है इसके साथ ही संधिकर्ता को अपनी योग्यता एवं वाकपटुता के आधार पर पक्षकारों के दिल में अपनी सत्यनिष्ठा एवं कार्यकुशलता के प्रति पूर्ण विश्वास अर्जित कराया जाना आवश्यक है।
2. संधिकर्ता को यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि उभय पक्षकार अपना विवाद संबंधित संधिकर्ता के माध्यम से संधिवार्ता के आधार पर सुलझाये जाने के लिए सहमत हैं। यह सहमति दस्तावेज के रूप में होनी चाहिए, चाहे वह करारनामे के रूप में हो और चाहे उभय पक्षकार की ओर से प्रस्तुत संयुक्त प्रार्थना पत्र के रूप में हो और दूसरा पक्षकार उस पर अनापत्ति प्रकट कर चुका हो।
3. पक्षकार स्वयं या अपने विधिक सलाहकारों के माध्यम से अपने विवाद की प्रकृति को संक्षिप्त रूप से संधिकर्ता के समक्ष रखे। उसके पश्चात् पक्षकारों का संक्षिप्त बयान संधिकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाये जिससे कि यह पहचान हो सके कि वास्तव में उनके विवाद का मुख्य–मुख्य मुद्दा क्या है। इस संबंध में पक्षकारों द्वारा किसी भी प्रकार का लिखित दस्तावेज विशेषज्ञ आख्या या अन्य कोई उचित प्रपत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
4. संधिकर्ता पक्षकारों के समक्ष उनके बयानों तथा प्रपत्रों पर विचार विमर्श करें और उसके पश्चात् पक्षकारों की सहमति से यह निश्चित किया जाये कि कौन पक्षकार सर्वप्रथम अपने पक्ष को रखेगा तदनुसार संबंधित पक्षकार को सर्वप्रथम अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया जाए।
5. पक्षकारों को सामान्यतः स्वयं संधिवार्ता के लिए उपस्थित होना चाहिए परन्तु वाद की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकारों के

माता–पिता उनके संबंधियों, मित्र, रक्त संबंधी अथवा उनके विधिक सलाहकारों को भी उनका प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जा सकती है। संधिवार्ता की तिथि तथा उसके स्थान को इस प्रकार से चुने जो कि उभय पक्षकारों के लिए उपयुक्त हो और किसी पक्षकार को जहां तक संभव हो सके असुविधा न हो।

13. निपटारे के बाद की कार्यवाही :

पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र में जब पक्षकारों के बीच समझौता हो जायेगा तब समझौता दल द्वारा इस समझौते को लिपिबद्ध किया जाएगा तथा संक्षेप में समझौते का लेख तैयार किया जाएगा जिसमें दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर होंगे। उसके नीचे प्रमाणीकरण के लिए सुलहकर्ता दल के हस्ताक्षर होंगे उस समझौते के लेख को केन्द्र में रख लिया जावेगा और उसकी प्रतिलिपि दोनों पक्षकारों को दे दी जायेगी। तथा पक्षकारों की सहमति से जिला प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत में उक्त तैयार समझौते को प्रीटिलीगेसन प्रकरण मानकर निपटारा कराया जायेगा।

यदि प्रकरण न्यायालय में चल रहा है और उसमें केन्द्र के माध्यम से समझौता हो गया है तो सुलह करवाने वाले दल द्वारा समझौते की शर्तें लिखकर उस पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे। उसके नीचे सुलह कर्ता दल का प्रमाणीकरण होगा। तदुपरांत उसकी एक प्रति पक्षकारों को देकर दिनांक पेशी में संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु सलाह दी जाएगी।

14. पुनरावलोकन :

केन्द्र द्वारा विवादों के पक्षकारों के निपटाये गये विवादों की बाद की कार्यवाही के बारे में 15 दिन के भीतर ही सर्वेक्षण कर ब्यौरा तैयार किया जावेगा कि क्या समझौते द्वारा निपटाये गये विवाद का सही क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में चल रहे हों और जिनमें आपसी समझौता केन्द्र में हो गया है, उनको न्यायालय में प्रस्तुत करने के उपरांत अंतिम निर्णय व आदेश हो गया है या नहीं इस हेतु केन्द्र द्वारा प्रयास किया जाएगा। केन्द्र के सचिव द्वारा बाद में सभी ब्यौरा तैयार कर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जाएगी। जिला प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रगति राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर मुख्यालय को प्रेषित की जावेगी।

15. व्यय :

परिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना के क्रियान्वयन के संबंध में होने वाला व्यय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सेवा हेतु आवंटित राशि का अंश होगा।

16. संरक्षण :

परिवारिक विवाद समाधान केन्द्र के सदस्यों द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के विरूद्ध कोई भी दीवानी या आपराधिक अथवा अन्य कोई वाद संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

17. अभिलेख का संधारण :

जिला विधिक सहायता अधिकारी पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना की कार्यवाही संबंधी रजिस्टर संधारित कर, समस्त कार्यवाहियों का अभिलेख पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र के कार्यालय में सुरक्षित रखेगा।

18. कठिनाई एवं निवारण :

इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आने वाली कठिनाईयों के निवारण के पूर्ण अधिकार कार्यपालक अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को होंगे। और उनका आदेश/निर्णय अन्तिम होगा।

घोषणा–पत्र

परिवारिक विवाद समाधान केन्द्र के नामांकित सदस्यों द्वारा निष्पादित किये जाने वाला घोषणा–पत्र।

मैं _____ आत्मज _____ उम्र ..... निवासी _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र के नामांकित सदस्य की हैसियत से कार्य करते समय समझौते की कार्यवाही के दौरान मुझे संबंधित पक्षकारों के विषय में जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसे मैं पूर्णतः गोपनीय रखूंगा तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सत्यता एवं निष्पक्षता से करूंगा।

एतर्थ ईश्वर मेरा सहायक हो।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम _____